छत्तीसगढ़ सूचना आयोग, रायपुर

<u>अपील प्रकरण क्रमांक 67/2007</u>

श्री देवेन्द्र दानी,
ब्लॉक अध्यक्ष,
भारतीय किसान संघ, धमधा
जिला–दुर्ग (छत्तीसगढ़) .... अपीलार्थी

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी,
सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास विभाग, दुर्ग
जिला–दुर्ग (छत्तीसगढ़) .... प्रतिअपीलार्थी

:: आदेश ::

(दिनांक 31 मई 2008)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री देवेन्द्र दानी ने प्रतिअपीलार्थी सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, दुर्ग के समक्ष जानकारी प्राप्त करने के लिये दिनांक 30–10–2006 को आवेदन प्रस्तुत किया था। समयावधि में जानकारी नहीं मिलने के कारण उसके द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। किन्तु वहां भी कोई निराकरण नहीं होने के कारण असंतुष्ट होकर उनके द्वारा आयोग के समक्ष द्वितीय अपील दिनांक 17–01–2007 को प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण में रिकार्ड का अवलोकन किया गया और उभय पक्ष की सुनवाई की गयी। पूर्व में अभिलेख शुल्क की सूचना विलम्ब से देने के कारण निःशुल्क जानकारी प्रदान करने के निर्देश दिये गये थे। सर्वप्रथम जन सूचना अधिकारी को 10,000/–रुपये शास्ति का कारण बताओ सूचना–पत्र जारी करने का निर्देश दिया गया, जिसके उत्तर में बताया गया कि आंशिक जानकारी तैयार है, जो दी जा रही है और शेष जानकारी काफी विस्तृत है। अतः उसका निःशुल्क निरीक्षण करा दिया जावेगा। उन्होंने विलम्ब के लिये तत्कालीन जन सूचना अधिकारी श्री डी.आर.भगत को उत्तरदायी बताया। अतः उनके विरूद्ध जारी कारण बताओ सूचना–पत्र निरस्त किया जाता है। बाद में तत्कालीन जन सूचना अधिकारी श्री डी0 आर0 भगत को 10,000/– रुपये शास्ति का कारण बताओ सूचना–पत्र जारी किया गया। किन्तु सुनवाई दिनांक को श्री डी0 आर0 भगत तत्कालीन सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, दुर्ग उपस्थित नहीं हुये और उनके द्वारा कारण बताओ सूचना–पत्र का उत्तर भी प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उनके विरूद्ध एकतरफा

कार्यवाही की जाकर सुनवाई की गयी। अंतिम सुनवाई दिनांक को वर्तमान सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग द्वारा बताया गया कि उन्होंने निरीक्षण भी करा दिया है और अंतिम सुनवाई दिनांक को समक्ष में जानकारी भी प्रदान कर दी है। किन्तु कारण बताओ सूचना–पत्र का उत्तर नहीं देने और सुनवाई दिनांक को उपस्थित नहीं होने के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि श्री डी0 आर0 भगत का विलम्ब के लिये कोई संतोषप्रद जवाब नहीं है। अतः एकतरफा कार्यवाही की जाकर अधिनियम की धारा–20(1) के अन्तर्गत उन पर 2,500/–रुपये (रुपये दो हजार पाँच सौ) की शास्ति आरोपित की जाती है। साथ ही धारा–20(2) के अन्तर्गत आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग को यह अनुशंसा भी की जाती है कि श्री डी0आर0भगत तत्कालीन सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, दुर्ग के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जावे। प्रकरण में 500/–रुपये धारा–19(8)(ख) के अन्तर्गत विलम्ब के लिये क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान करने के भी निर्देश दिये गये, जिसका भुगतान हो चुका है। चूँकि प्रकरण में अन्य सभी बिन्दुओं पर कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है। अतः अन्य किसी आदेश की आवश्यकता नहीं है।

3/ उपरोक्त निर्देशों के साथ उक्त अपील स्वीकार की जाती है।

(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त